

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**खाद्य एवं रसद अनुभाग-2**  
**संख्या-01/2018/35/29-2-18-एम-74/12**  
**लखनऊ : दिनांक: 27 अप्रैल, 2018**  
**कार्यालय-ज्ञाप**

श्री राम दुलारे, सेवानिवृत्त, विपणन निरीक्षक द्वारा वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2009-10 में केन्द्र-बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर की तैनाती अवधि में बरती गयी गंभीर अनियमितताओं के विरुद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-956(1)/29-2-2012-एम-74/12, दिनांक 24-08-2012 एवं संख्या-93/2269/29-2-2013-एम-74/12, दिनांक 23-10-2013 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351 ए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी।

2- श्री राम दुलारे, सेवानिवृत्त, विपणन निरीक्षक के विरुद्ध सी0एस0आर0 351 ए के अन्तर्गत गतिमान विभागीय कार्यवाही में निर्णय लिये जाने के पूर्व ही दिनांक 13-11-2016 को उनकी मृत्यु हो गयी। अतएव श्री राम दुलारे, सेवानिवृत्त, विपणन निरीक्षक के विरुद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351 ए के अन्तर्गत जारी विभागीय कार्यवाहियाँ क्रमशः दिनांक 24-08-2012 एवं दिनांक 23-10-2013 को एतद्वारा समाप्त किये जाने के श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से

शीतला प्रसाद द्वितीय  
विशेष सचिव।

**संख्या-यथोक्त तददिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग , उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक-44/आ0वि0शा0-78-84, दिनांक 03-01-2018 के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित की वे उक्त आदेश की प्रति स्व0 राम दुलारे, सेवानिवृत्त विपणन निरीक्षक के आश्रित को तामील कराकर तामिली रसीद शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- विभागीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर संभाग गोरखपुर।
- 3- संबंधित कोषाधिकारी को खाद्यायुक्त के माध्यम से ।
- 4- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
(प्रेम शंकर राय)  
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।